श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2017 को आयोजित महत्त्वपूर्ण कार्यो की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

क्र0	महत्वपूर्ण कार्य	अनुपालन के बिन्दु	अनुपालन पदाधिकारी
1	2	3	4
1	लंबित DC Bill व उपयोगिता प्रमाण–पत्र (राजस्व), अन्य	समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि कुछ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वितीय वर्ष 2003–04 का डी0सी0 विपत्र समर्पित किया गया था जबकि उस समय कोषागार के स्तर से कार्य नहीं होता था। इसके अलावे अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा 11 डी0सी0 विपत्र उपलब्ध कराये गये हैं, जिसका समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि अपने विभाग से संबंधित लंबित डी0सी विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे।	अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी
2	सर्वे व स्ंदक तमबवतक के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति MIS पर Entry Website पर प्रकाशन (Reg-2)	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि खगड़िया अंचल के जमाबन्दी इन्ट्री का कार्य 3 मई 2017 से चल रहा है। कुल 51 मौजा में से 26 मौजे के इन्ट्री कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब तक 112659 जमाबन्दी में से 32299 जमाबन्दी का इन्ट्री कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि इन्ट्री कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें।	अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा
3	गोगरी अनुमंडल एवं व्यवहार न्यायालय का संयुक्त कार्यालय भवन हेतु भू–अर्जन प्रतिवेदन (GAD)	गत बैठक में अपर समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि व्यवहार न्यायालय, गोगरी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से प्राप्त प्रस्ताव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सहमति के लिए भेजा गया था जो अबतक अप्राप्त है। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया कि दोनों भूमि के प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जाय तथा इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा जाय। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा शीघ्र गणना कर प्रतिवेदन सौंपे।	अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व
4	खगड़िया–कुशेश्वर स्थान रेल लाईन हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण तेज करना (3.5 KM समस्याग्रस्त)	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया की अनुपस्थिति के कारण प्रगति की समिक्षा नहीं की जा सकी।	विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा
5	पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता	कार्यपालक अभियंता विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 4 पावर सब स्टेशन के लिए भूमि अर्जित की जानी है। भरसों (परबत्ता) के संबंध में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अनुमडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से बातें कर समस्या का सामाधान कराना सुनिश्चित करें। चौथम प्रखंड के संबंध में उन्हें निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी चौथम से सर्म्पक कर जमीन के समस्या का समाधान कराये । वीरवास (गोगरी) के संबंध में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वीरवास के स्थान पर पैंकात में जमीन खोजा गया है। बेलदौर प्रखंड के सकरोहर में एक जमीन खोजी गयी है परन्तु अभी तक स्पष्ट नहीं हुयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे जमीन अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर जमीन के संबंध में स्पष्ट होना सुनिश्चित करें।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना)
6	SSA अन्तर्गत विद्यालयों हेतु भूमि की आवश्यकता	गत बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया के द्वारा बताया गया कि 09 विद्यालय (खगड़िया–1, मानसी–1, चौथम–4 एवं गोगरी–3) के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि संबंधित Location के साथ प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया से प्रतिवेदन अप्राप्त है। साथ ही अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इस विषय को जिला राजस्व की बैठक के एजेंन्डा में शामिल करेंगे।	अपर समाहर्त्ता/जिला शिक्षा पदा0 /जिला कार्यक्रम पदा0, SSA /संबंधित अंचलाधिकारी
7	NPS पर Database updation (राजस्व)	प्रभारी पदाधिकारी, जनगणना द्वारा बताया गया कि 75 प्रतिशत् कार्य हो चुका है उन्हें निदेशित किया गया कि बचे हुये कार्यो को अविलम्ब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।	प्रभारी पदाधिकारी जनगणना कोषांग, खगड़िया

8	GP, DP, IPPE 2 की डाटा इन्ट्री	गत बैठक में उप विकास आयुक्त, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें कि डाटा इन्ट्री करना है अथवा नहीं? यदि नहीं कराना है तो इसे बन्द किया जाए। उप विकास आयुक्त, खगड़िया द्वारा बताया गया कि विभाग से निदेश मांगा गया था, लेकिन अभी तक कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए कार्य अभी बंद है।	उप विकास आयुक्त, खगड़िया
9	जीविका क्रेडिट लिंकेज व Disbursement rate	डी0पी0एम0 (जीविका), खगड़िया को निदेश दिया गया कि उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहा है। उसके संबंध में कार्यक्रम योजनावार विस्तृत प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	डी0पी0एम0 जीविका, खगड़िया
10	पेंशनधारियों का खाता व आधार सीडिंग	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया ने बताया कि 85 प्रतिशत खाता सिडिंग एवं 36 प्रतिशत आधार सिडिंग हो चुका है। 4,78,85,600 रूपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी भेजा जा चुका है। उन्हें निदेश दिया गया कि खाता में राशि जाने के पूर्व जिन लाभुकों को पेंशन की राशि भुगतान नहीं किया गया है एवं बकाया है, वैसे लाभुको को अविलम्ब कैम्प कर राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोशांग, खगड़िया
11	डीजल अनुदान का UC	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा दिया गया है।	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया
12	AC/DC बिल व UC की विशेष समीक्षा (सभी पदाधिकारी)	सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि लंबित ए0सी0 विपत्र का डी0सी0 विपत्र तैयार कर शीघ्र समायोजन कराना सुनिश्चित करें। कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि वे अद्यतन स्थिति के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहेंगे।	अपर समाहर्त्ता/कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित कार्यालय प्रधान
13	पुनर्वास के लंबित मामलों की समीक्षा, CO से प्रस्ताव लंबित	गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि पुनर्वास के मामले शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी के बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी।	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, खगड़िया
14	स्टेशन रोड व अन्य स्थलों से अतिक्रमण हटाना	गत बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद, खगड़िया को निदेशित किया गया था कि NH 31 से महात्मा गाँधी रोड होते हुए बखरी बस स्टैण्ड तक की सड़क अतिक्रमण के साथ–साथ शहर के अन्य स्थलों का अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। नगर परिषद के कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि राजेन्द्र चौक से बखरी बस स्टैण्ड तक अतिक्रमण हटाया गया था लेकिन पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि पुनः अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित-करें। साथ ही निदेश दिया गया कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए पुलिस अधीक्षक, खगड़ियाको पत्र दें।	अनुमंडल पदा0, खगड़िया/ कार्यपालक पदा0, नगर परिशद, खगड़िया/विशेश कार्य पदाधिकारी
15	समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति का मामला	स्थापना उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।	स्थापना उप समाहर्त्ता/ सभी कार्यालय प्रधान
16	सीलिंग मामलों की विशेष समीक्षा	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि सीलिंग के 247 मामलों में से 57 अभिलेख का गजट सत्यापन हेतु अंचल अधिकारियों को भेजा गया था जिसमें से 14 का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अपूर्ण है। सभी अंचल अधिकारी को पूर्ण प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जाता है।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया /सभी अंचल अधिकारी
17	शहर सुरक्षा तटबंध (KTP) हेतु भू–अर्जन की समीक्षा	कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2 के सहायक अभियता ने बताया कि विशेष भू अर्जन पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा अभी तक कार्रवाई सम्पन नहीं हुयी है।	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, बाढ़ प्रमंडल–2
18	विभिन्न योजनाओ हेतु आधार, बैंक खाता व मोबाईल सीडिंग	निदेशक, लेखा, डी0आर0डी0ए0 द्वारा बताया गया कि आधार के एजेन्सी को कार्ड निर्माण हेतु 13 स्थल उपलब्ध कराया गया है, परंतु एजेन्सी के द्वारा अभी तक मात्र 04 जगह कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसे सभी प्रखंड एवं अनुमंडल में चालू कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि इस हेतु विहित प्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें आंकड़े भरकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।	निदेशक,डी0आर0डी0ए0, खगड़िया

19	7 थाना भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना	7 थाना भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के संबंध में प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि इसमें से बहादुरपुर पीकेट निर्माण के लिए कृषि फार्म की जमीन का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेजा गया है। मुफ्फसिल थाना हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप उसमाहर्त्ता, खगड़िया से अप्राप्त है। अनुसूचित जाति/जन जाति थाना एवं पीपरपाती पिकेट थाना का प्रस्ताव अप्राप्त है। मानसी थाना भवन हेतु विभाग से प्राप्त आवंटन को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को उपलब्ध करा दिया गया है। पसराहा थाना हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है परंतु पुनः उनसे अभिलेख अप्राप्त है। मोरकाही थाना भवन निर्माण हेतु गृह विभाग से अधियाचना के संबंध में पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधित को पुनः स्मार पत्र निर्गत करें।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया
20	विभागीय कार्यवाही के लंबित मामले	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय प्रधान नियुक्ति प्राधिकार नहीं हैं ऐसी स्थिति में वे किसी कर्मी के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता अथवा विभागीय उच्च सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन भेजते हैं एवं उनके स्तर से स्पष्टीकरण पूछकर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि ऐसे कर्मियों जिनके विरूद्ध प्रतिवेदन भेजा गया है उसकी सूची एवं उसके संबंध में की गयी कार्रवाई का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही स्थापना उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि सभी कार्यालय प्रधान को इस संबंध में एक पत्र निर्गत करें एवं एतत् संबंधी पत्र प्रदान करें।	सभी विभागीय प्रधान एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, खगड़िया
21	7 निश्चय की प्रगति की समीक्षा	पृच्छा पर सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि जी0एन0एम0 एवं पारामेडिकल हेतु भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। 7 निश्चय के तहत इंजिनियरिंग कॉलेज, पोलटेकनिक कॉलेज, महिला आईटीआई हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को दिया गया। 7 निश्चय से संबंधित सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक नियमित रूप से भेजें ताकि अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन Upload किया जा सके। आज तक कार्यपालक अभियंता विद्युत का प्रतिवेदन अप्राप्त है जबकि 10 तारिख तक हीं प्रतिवेदन Uplode किया जाना है। समय पर Report भेजने का निदेश दिया गया।	उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा/7 निश्चय से संबंधित सभी पदाधिकारी
22	गैर मजरूआ आम, खास भूमि की पंजी व विवरणी Score-3	पृच्छा करने पर जिला अवर निबंधक ने बताया कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं जिला राजस्व शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर ही निबंधन कार्य किया जा रहा है।	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/जिला अवर निबंधक, खगड़िया
23	विधान मंडल के लंबित उत्तर (आपदा व अन्य)	समीक्षा में लंबित विधान मंडल प्रश्नों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी– 1. जिला राजस्व शाखा–11 2. आपदा प्रबंधन शाखा–04 3. जिला पंचायती राज कार्यालय–01 4. जिला योजना कार्यालय–07 5. श्रमाधीक्षक –01 सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विधान सभा का जबाव एक सप्ताह के अन्दर भेजते हुए लंबित को शून्य करना सुनिश्चित करें। कार्यालय अधीक्षक को भी निदेश दिया गया कि इसे अनुश्रवण करें एवं प्रतिदिन सूची को अद्यतन कर स्थिति से अवगत करायेंगे।	सभी संबंधित पदाधिकारी /कार्यालय अधीक्षक, खगड़िया
24	पशुगणना	जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि 2, 4 एवं 6 मार्च 2017 को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण दिया गया है तथा 17 जुलाई से पशुगणना का कार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सोसाईटी गठन की जा रही है एवं सदस्य बनने के लिए लोग अपना आवेदन समर्पित कर रहें हैं। पृच्छा पर जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ आपदा के पशुचारा आदि के लिए टेन्डर प्रकाशित कर दी गयी है, जिसकी अंतिम तिथि 24.06.17 है।	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया

25	स्वास्थ्य विभाग के परिसरों को अतिक्रमण मुक्त कराना	तीन माह से बन्नी स्वास्थ्य उपकेन्द्र परिसर के अतिक्रमण को मुक्त करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/ अंचल अधिकारी,गोगरी को दिया जाता रहा है। सिविल सर्जन, खगड़िया ने बताया कि अबतक अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्धसरकारी पत्र निर्गत करें।	अपर समाहर्त्ता/सिविल सर्जन/ अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी/विशेष कार्य पदाधिकारी
26	महादलित सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड निर्माण	जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि 36 में से 33 महादलित सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड का निर्माण किया जा चुका है एवं 03 लंबित है। 03 लंबित योजना में छत ढलाई का कार्य चल रहा है। उन्होनें यह भी बताया कि पूर्व के सभी उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेज दिया गया एवं हाल के आवंटन के राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि जो सामुदायिक भवन–सह–शेड का निर्माण हो चुका है उसकी स्वयं जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करें एवं अपूर्ण योजना को शीघ्र पूर्ण करायें एवं शेष बचे उपयोगिता प्रमाण–पत्र को भी विभाग को भजना सुनिश्चित करें।	जिला कल्याण पदा0
27	DAY-NULM अन्तर्गत आश्रय स्थल निर्माण	गत बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि बलुआही बस पड़ाव के पीछे आश्रय स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे शीघ्र पूरा कराने एवं इसके रख–रखाव के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश नगर परिषद कनीय अभियंता को दिया गया।	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद, खगड़िया
28	लोक सूचना, लोकायुक्त व मानवाधिकार के मामले	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित मामले निम्न पदाधिकारियों के यहाँ लंबित है, जो इस प्रकार है :– **<u>मानवाधिकार कोषांग :–</u>** 1. पुलिस अधीक्षक, खगड़िया–01 2. अपर समाहर्त्ता, खगड़िया–01 3. अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी–01 4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया–01 5. अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया–05 6. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी–05 7. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी–01 8. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया–01 9. प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबत्ता–01 10. अंचल अधिकारी अलौली–01 11. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया–02 12. कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, खगड़िया–01 **<u>लोकायुक्त कोषांग :–</u>** 1. जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया–01 सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों की जांच कर शीघ्र प्रतिवेदित करें। जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया बिना कोई सूचना के बैठक में अनुपस्थित पाये गये जिसके कारण लोकायुक्त संबंधी मामले की समीक्षा नहीं की जा सकी। प्रभारी पदाधिकारी लोकायुक्त कोषांग को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.06.17 को लोकायुक्त न्यायालय में इन्हें प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने हेतु प्रतिनियुक्त करें।	सभी संबंधित पदाधिकारी/ विशेश कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया
29	जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराना जल निकाय संरक्षण	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि 263 जल निकायों में 56 अतिक्रमित है इसमें से 29 में अतिक्रमण वाद चल रहा है। 12 में जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 15 को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि शेष सभी अतिक्रमण पर भी वाद कायम कर आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया गया कि स्थाई प्रकृति के अतिक्रमण नियमानुसार हटाने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दें।	अपर समाहर्त्ता, खगड़िया
30	पंचायत व ग्रामीण विकास योजनाओं का UC	गत बैठक में उप विकास आयुक्त, खगड़िया द्वारा बताया गया था उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेज दिया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया की 7 करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेजा गया है परन्तु सभी का समायोजन होकर नहीं आया है।	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया

31	पंचायत सरकार भवन को कार्यान्वित करना	जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिला में 22 पंचायत सरकार भवन स्वीकृत है जिसमें से 19 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 14 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा 10 पंचायत सरकार भवन को पंचायत हस्तांतरित दिखाया जा रहा है, परन्तु विधिवत् हस्तान्तरण ग्राम पंचायत को नहीं कराया गया है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को निदेश दिया गया कि पूर्ण किये गये पंचायत सरकार भवन को विधिवत् ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें। काफी दिन पूर्व ही उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, खगड़िया को निदेश दिया गया है कि पंचायत सरकार भवन के उपस्कर हेतु सरकार से प्राप्त आवंटन को संबंधित ग्राम पंचायत को नियमानुसार उपस्कर क्रय हेतु राशि उपलब्ध करा दिया जाय। परन्तु इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन उनसे अप्राप्त है। विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में कार्रवाई संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन देने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उन्हें पत्र निर्गत् किया जाय।	उप विकास आयुक्त/जिला पंचायती राज पदा0/ जिला योजना पदा0,/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
32	मुख्यमंत्री निश्चय हर घर नल जल	समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 द्वारा बताया गया कि विभाग में जो बैठक हुई है उसकी जानकारी के अनुसार आर्सेनिक एवं क्लोराईट प्रभावित क्षेत्र के बसावट में ही पी0एच0ई0डी0 द्वारा कार्य किया जाना है तथा इसके अलावे अन्य पंचायत अथवा बसावटों में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जाना है। विभाग द्वारा इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। इस संबंध में कोई अधिकारिक पत्र विभाग द्वारा निर्गत नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि आर्सेनिक एवं क्लोराईड बसावट की सूची 5 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खगड़िया
33	मुख्यमंत्री निश्चय गली नाली	गत बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि गामीण क्षेत्रों के लिए 85 योजनाओं का प्राक्कलन बनाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद्, खगड़िया ने भी बताया कि नगर परिशद्, खगड़िया में 22 योजनाओं में कार्य चल रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया के पटना विभागीय बैठक में रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिशद्, खगड़िया
34	गोविन्दपुर पंचायत संबंधी जांच	बैठक में बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को स्मारित करने का निदेश दिया गया है।	उप विकास आयुक्त, खगड़िया
35	छात्रवृति की जांच	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि छात्रवृति की जांच हेतु उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार सिंन्हा, वरीय उप समाहर्त्ता, खगड़िया की त्रिसदस्यीय जांच कमिटि गठित की गयी है। जांच कमिटि से प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच कमिटि से संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में जांच प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।	उप विकास आयुक्त/ जिला परिवहन पदा0/श्री मुकेश कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्त्ता/जिला कल्याण पदा0
36	आधार सिडिंग PDS, MNREGA, छात्रवृति	जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पी0डी0एस0 अन्तर्गत आर0सी0 के तहत 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है। मनरेगा अन्तर्गत 49 प्रतिशत आधार सिडिंग का कार्य हुआ है। इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया।	निदेशक, क्त्त्।, खगड़िया एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया /सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी
37	गजेटियर	गजेटियर की तैयारी हेतु कमिटि गठित करने तथा गजेटियर बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि जिला के सभी कार्यालय प्रधान को गजेटियर संबंधी पत्र की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है एवं मात्र 08 पदाधिकारी से प्रपत्र में गजेटियर प्राप्त हुआ है। सभी कार्यालय प्रधान को भी निदेशित किया गया कि अपने विभाग से संबंधित गजेटियर विहित प्रपत्र में तैयार कर इस माह के अंत तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उप विकास आयुक्त, खगड़िया/सभी कार्यालय प्रधान

सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सप्ताह में एक दिन वे आवंटित प्रखंड में जाकर विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे एवं उसकी कार्यवाही भेजना सुनिश्चित करेंगे। खेद का विषय है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। उन्हें अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अपने प्रखंड में स्थापित आधार केन्द्र का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(अनुपालन–सभी प्रखंड के प्रभारी वरीय पदाधिकारी)

<u>मानसी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता</u>

प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया जाता है कि अंचलाधिकारी, मानसी से जमीन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया)

<u>आर्य कन्या उच्च विद्यालय संबंधी विवाद :–</u>

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को लिखे गये पत्र के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है इसकी जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदित करें।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निदेश दिया जाता है कि इस विद्यालय के विवाद संबंधी मामले में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना को लिखे गये पत्र में स्मार पत्र निर्गत कर कृत कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र का प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

<u>भू विवाद :–</u>

अंचलाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि हर शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से भू–विवादों के संबंध में बैठक करें एवं उसकी कार्यवाही अपलोड करें। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को इस पर ध्यान रखने एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/सभी अंचलाधिकारी)

<u>शिकायत पत्रों की पंजी :–</u>

गत बैठक में सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया था कि अपने–अपने कार्यालय में शिकायत पंजी का संधारण कराये एवं उक्त पंजी में उनके कार्यालय में सीधे प्राप्त शिकायत पत्र के साथ–साथ जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होने वाले शिकायत पत्रों को भी दर्ज कर उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में सभी कार्यालय प्रधान द्वारा बताया गया कि शिकायत पत्रों की पंजी संधारित है एवं अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन : जिला के सभी कार्यालय प्रधान)

<u>कब्रिस्तान एवं मंदिर की घेराबंदी</u>

जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान एवं मंदिर की घेरा बंदी हेतु अंचलों से प्राप्त सूची की प्राथमिकता तय करें। साथ हीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने अनुमंडल अन्तर्गत पड़ने वाले अंचल द्वारा प्रेशित एतदसंबंधी सूची की जांच कर प्राथमिकता निर्धारित कर सूची जिला योजना कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया)

<u>प्रमादी मिलर विरूद्ध कार्रवाई :–</u>

जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़िया को निदेश दिया गया कि प्रमादी मिलर के विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया)

<u>धान की अधिप्राप्ति</u>

जिला सहकारिता पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण इस विषय की समीक्षा नहीं की जा सकी।

अनुपालन–जिला सहकारिता पदाधिकारी)

<u>अवैध राशन कार्डधारियों से वसूली :–</u>

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध राशन कार्ड धारियों से वसूली सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

अवैध पेंशन धारकों से वसूली :–

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध पेंशन धारकों से वसूली सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

फसल व गृह क्षति सहित आपदा की राशि :–

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया गया कि सभी योग्य लाभुक को फसल क्षति की राशि उनके खाता मे हस्तान्तरण हेतु बैंक को एडवाईस भेजा जा चुका है एवं बैंक द्वारा राशि खाता में हस्तान्तरण करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि शीघ्र सभी लाभुकों को राशि उनके खाता में भेजवाना सुनिश्चित करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन ने बताया कि गृह क्षति मुआवजा की राशि संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा वितरण किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि अविलम्ब लाभुक को राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि जिन लाभुक को फसल क्षति की राशि का भुगतान नहीं किया गया है उसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।)

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि फसल क्षति वितरण की जांच कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन को निदेश दिया गया कि गृह क्षति सहित आपदा की राशि की निकासी एवं वितरण के संबंध में अलग से अंचल अधिकारियों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, खगड़िया।)

छात्रों की छात्रवृति (शिक्षा विभाग) :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन की राशि को विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में हस्तांतरित कर दी गयी है। विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकांश खाता बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है एवं बैंक द्वारा छात्रों के खाते में राशि हस्तांतरण करने में सहयोग नहीं किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि यदि बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस कार्य में अभिरूची नहीं ले रहे हैं तो निकट के किसी अन्य बैंक में खाता खोलने का निदेश विद्यालय शिक्षा समिति को दें।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया)

लोक शिकायत के मामले :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन की स्थिति अच्छी नहीं है। सभी कार्यालय प्रधान/लोक प्राधिकार को निदेश दिया गया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी कार्यालय प्रधान/लोक प्राधिकार)

ह०/-
जिलाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक 1381 /गो०, दिनांक 23-06-17

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों/कोशागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, खगड़िया/जिला आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया